# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मनफूली बनाम उमेश कुमार<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण जाहिर होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 11/08/2005 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29/05/2015 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोक किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना किये बगैर एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विस्तृत रूप से परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण कि जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |<br><br>अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29/05/2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां सहिंता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते | |

302/2015

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**मनफूली बनाम उमेश कुमार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 30/2/2015 | |

हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |